



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 906 वर्ष 2026

लक्ष्मण

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार श्रीवास्तव, भजु राम प्रसाद शर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और पटल पर उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दाखिल की गई है:

"(1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या - 2 को उसके समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम (U.P.C.H. Act) की धारा 11(1) के अंतर्गत अपील संख्या 0134 वर्ष 2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 2022540547000137) (राम भवन सिंह और अन्य बनाम सेथई और अन्य) को, किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित समय/अवधि में अत्यंत शीघ्रता से निर्णीत करने का समादेश और निदेश दिया जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त मामला पर्याप्त समय से विचारार्थ लंबित है; किंतु, इसे शीघ्रता से निर्णीत कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि पूर्वोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए एक निदेश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी/मत व्यक्त किए बिना, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिसके समक्ष पूर्वोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः पांच माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार इसे शीघ्रता से निर्णीत करे, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो।
6. पूर्वोक्त निदेश के साथ, वर्तमान प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

मार्च 12, 2026

विनय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।